

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ.4(1) आ.प्र.एवं सहा./पेयजल/ 2015/ 4228-250 जयपुर, दिनांक 06/04/15

जिला कलेक्टर, (सहायता)
जिला कलेक्टर(सहायता),
बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, बांसवाड़ा,
बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरु, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर,
हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर एवं प्रतापगढ़।
(राज0)।

विषय:- अभाव सम्वत 2071 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु आपातकालीन पेयजल परिवहन व्यवस्था कराने बाबत दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1(3) आ.प्र.सआ/ सामान्य /2014/ 10908-44 दिनांक 19.10.2014 एवं क्रमांक एफ 1(4) आ.प्र.सआ/ सामान्य /2014/ 12413-32 दिनांक 12.12.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यह अवधि 31.07.2015 तक प्रभावी रहेगी। पेयजल परिवहन व्यवस्था के लिए आपको अधिकृत किया जाता है। इस हेतु निम्न दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए:-

1. जिले के आबादी क्षेत्रों में जहां नजदीक में पेयजल का स्रोत उपलब्ध नहीं है या पेयजल का स्रोत बाढ़/अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपयोगी नहीं रह गया है एवं पेयजल की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है, वहां सर्वप्रथम यह प्रयास किये जावें कि ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध स्वयं सेवी संस्था/दान दाताओं के सहयोग से पेयजल परिवहन व्यवस्था कराई जाकर पेयजल की आपूर्ति की जाए।
2. स्वयं सेवी संस्थाओं/दान दाताओं के सहयोग की सम्भावना यदि कम/नगण्य हो तो निम्नानुसार व्यवस्था की जाये:-
 - 2.1 ऐसे गांव जहां अनावृष्टि के कारण पेयजल स्रोत उपयोगी नहीं रह गये हैं तथा 1.6 कि.मी. की परिधि से कोई भी पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं रह गया है, वहां संकट की अवधि में पेयजल परिवहन की व्यवस्था की जाए।
ऐसे नाम, जहां पेयजल योजनाएं विद्यमान है परन्तु प्राकृतिक आपदा के कारण पेयजल के अभाव की स्थिति पैदा हो गई है वहां भी पेयजल के परिवहन की व्यवस्था अभाव अवधि में की जाए।
3. यदि पेयजल व्यवस्था हेतु टैंकर्स/ट्रेक्टर ट्राली/ऊट गाड़ी/बैल गाड़ी आदि किराये पर लेने की आवश्यकता पड़ती है तो इस हेतु निम्न समिति से दरों का निर्धारण आगामी बिन्दुओं में दिये गये प्रावधान अनुसार कराया जाए:-



- अ. जिलर कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि
जो अति जिला कलेक्टर स्तर से कम न हो अध्यक्ष
- ब. अधीक्षण अभियन्ता जन.स्वा.अभि.विभाग
का प्रतिनिधि जो अधिशाषी अभियन्ता से कम न हो सदस्य
- स. कोषाधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि अथवा
लेखाधिकारी कलेक्टर कार्यालय सदस्य
6. जिन समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल परिवहन हेतु किराये के टैंकर/बैलगाड़ी की व्यवस्था की जानी है, वहां वह सुनिश्चित किया जाए कि इस कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति एवं साधन यथा सम्भव स्थानीय हो।
7. ऐसे जिले जहां पेयजल व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा टैंकर्स उपलब्ध कराये हुये हैं जिला कलेक्टर द्वारा ऐसे टैंकर्स हेतु अधिशेष घोषित वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चालक एवं खलासी के पदों पर लगाया जाकर कार्य सम्पादित करवाया जाए। यदि उक्त श्रेणी के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो भूतपूर्व सर्विसमैन अथवा सेवा निवृत्त वाहन चालक एवं खलासियों को वित्त विभाग/आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के नवीनतम आदेश द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार रख लिये जाए।
8. सभी समस्याग्रस्त गांवों/ढाणियों में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सम्भावित समस्याग्रस्त गांवों के लिए पेयजल परिवहन की दरें पूर्व में ही निर्धारित कर ली जावे। दरों का निर्धारण पूर्व वर्षों में निर्धारित दरों, मूल्य वृद्धि, बाजार की प्रचलित दरों एवं न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए कमेटी द्वारा निर्धारित की जावे। दरों का निर्धारण भिन्न भिन्न वाहनों यथा टैंकर की पानी की क्षमता के अनुसार पक्के/कच्चे रास्ते (Route) की अलग अलग की जावे एवं पेयजल स्रोत से वितरण स्थल (Destination) तक का रूट चार्ट सम्बन्धित पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से अनुमोदन कराया जावे, जिसके अनुसार ही भुगतान कराया जावे।
9. जिला कलेक्टर के स्तर पर कमेटी द्वारा दरों के निर्धारण उपरान्त पेयजल परिवहन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दे दी जायेगी। ग्राम पंचायतें इन निर्धारित दरों पर टैंकर किराये पर लेकर पेयजल की आपूर्ति गांव में कर सकती है। पेयजल परिवहन के बिलों का सत्यापन ग्राम पंचायत स्तर पर पाक्षिक रूप से करने के उपरान्त तहसील स्तर से इसका भुगतान किया जाए। तहसीलदार द्वारा इन बिलों के प्राप्त होने के पश्चात इनका भुगतान एक सप्ताह के भीतर कराया जावेगा।
10. (i) शहरी एवं नगरपालिका क्षेत्रों में पेयजल परिवहन का कार्य पीएचईडी के माध्यम से कराया जायेगा। इसके लिये जलदाय विभाग, जिला प्रशासन के निर्देशानुसार टैंकर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करवायेगा। शहरी क्षेत्र में दरों का निर्धारण बिन्दु संख्या 3 में अंकित समिति द्वारा वित्तीय नियमों के प्रावधानुसार टेण्डर प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।
(ii) टैंकरों की दरों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए पूर्व के पांच सालों में कम से कम दर को या जिला प्रशासन उससे कम दरों को आरक्षित कर रजिस्टर्ड ठेकेदारों तथा अपंजिबद्ध ठेकेदार या पार्टियों को सामूहिक रूप से दर दिये जाने का मौका देवे तथा उस दर से कम दर वाले को या उसी दर पर अन्य लोगों का ठेका आवश्यकतानुसार दिया जावे।
11. पेयजल का वितरण सही हो, इसके लिए जहां से पानी रवाना हो, वहां अस्थाई चैक पोस्ट या उस स्रोत से टैंकर मालिक को तीन कूपन जारी किये जाए, जिसमें पानी की मात्रा,

Din

टैकर रवाना होने का समय, दिनांक तथा टैकर ले जाने का नाम एवं टैकर नम्बर दर्ज किया जाए, उसकी एक कार्यालय प्रति होगी तथा दो प्रति टैकर वाले को दी जाए। टैकर चालक जिस गांव/शहरी क्षेत्र में जाए, उस गांव/शहरी क्षेत्र के दो आदमियों के तथा एक महिला के हस्ताक्षर कराये। इस पैनल के व्यक्तियों के नाम गांवों में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किया जाए। इस रसीद शुदा कूपन को टैकर मालिक द्वारा टैकरों के बिल के साथ प्रस्तुत किया जाए तथा उस कूपन की ऑफिस की प्रति से मिलान कर भुगतान किया जाए। कूपन जिला कलेक्टर द्वारा मुद्रित कराये जाकर सम्बन्धित कार्यकारी ग्राम पंचायत/जलदाय विभाग को उपलब्ध कराये जावेंगे। कूपनों पर क्रमांक (सीरियल नम्बर) मुद्रित कराये जायेंगे। जिला कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये कूपन ही पेयजल परिवहन हेतु मान्य होंगे। मुद्रित एवं वितरित कूपनों का लेखा जिला कार्यालय एवं सम्बन्धित कार्यकारी अधिकरण द्वारा संधारित किया जायेगा।

11. पेयजल विभाग की स्कीमों के टैकरों का भुगतान राहत मद से कलेक्टर द्वारा अनुमत किया जा सकता है। जलदाय विभाग की स्कीम में यदि अचानक पेयजल हेतु टैकरों की व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जलदाय विभाग के अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर को सूचित कर तदानुसार ही पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
13. पेयजल स्रोत के रूप में यदि जिला कलेक्टरों को किसी निजी कुए या ट्यूबवैल की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसके लिए किराये का निर्धारण कर अधिग्रहण कर लिया जाए।
14. निर्धारित दरों पर कोई टेण्डरकर्ता पेयजल परिवहन नहीं करता है तथा जिला कलेक्टर को अचानक आवश्यकता पड़ती है तो बिन्दु संख्या 3 में गठित कमेटी से नई दरें तय करवा ली जाए। ऐसे टेण्डर दाता की जमानत राशि जब्त कर ली जाए एवं उसे हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाए।
15. पेयजल उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा साप्ताहिक रूप से जिला कलेक्टर के स्तर पर की जाए। जिसमें पी.एच.ई.डी. विद्युत वितरण कम्पनी., राजस्व विभाग एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को समीक्षा बैठक में शामिल किया जाए।
16. जिला कलेक्टर द्वारा पेयजल के अभाव की स्थिति का निरन्तर आंकलन एवं पेयजल व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाकर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रति सप्ताह अवगत कराया जाए।
17. जिला कलेक्टर, उपखण्ड स्तर पर पेयजल आपूर्ति की समीक्षा हेतु उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में पेयजल समीक्षा समिति के गठन हेतु आदेश जारी करेंगे। जिसका गठन निम्नानुसार किया जाएगा:-


उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
सहायक अभियन्ता, जन स्वा.अभि.विभाग	सदस्य सचिव
विकास अधिकारी	सदस्य
तहसीलदार	सदस्य
18. पेयजल परिवहन हेतु स्थान का चयन उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। कमेटी द्वारा अधिकृत स्थानों पर अनुज्ञय दिनांक से अनुज्ञय मात्रा में प्रतिदिन पेयजल परिवहन ग्राम पंचायत /जन स्वा.अभि.विभाग द्वारा करवाया जावेगा। यदि कोई पंचायत प्रशासन के

Gmi

- आदेश के बावजूद भी पेयजल परिवहन करवाने में किसी भी कारणवश असमर्थ रहती है तो यह कार्य तहसीलदार / जलदाय विभाग के माध्यम से अनुमोदित दरों पर करवाया जावेगा।
19. अभावग्रस्त क्षेत्र (ग्रामीण एवं शहरी) के संबंधित क.अभियंता, ग्राम प्रभारी/पटवारी, ग्रामसेवक पदेन सचिव, सरपंच, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि तथा मनोनीत अधिकारी/कर्मचारी के प्रमाणीकरण (प्रमाण पत्र के प्रारूप की प्रति संलग्न है) के पश्चात ही बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें।
 20. 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए संचालित की जाने वाली पेयजल व्यवस्था हेतु प्रत्येक कार्यालय में पृथक-पृथक पत्रावलीया खोली जाएगी एवं इससे संबंधित बिल पृथक से बनाये जाकर कोष कार्यालय में भी पृथक से प्रेषित करे। इनका 90 दिवस तक के बिलों में सम्मिलित नहीं किया जावे। अन्य रिकार्ड पृथक से संधारित करते हुए पृथक रजिस्टर खोले जाएंगे। संचालक संस्था के स्तर पर भी पृथक रिकार्ड व रजिस्टर भी खोले जायेंगे एवं व्यय का इसाब पृथक रखा जावे।
 21. 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु संचालित होने वाले पेयजल परिवहन पर होने वाला व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत उसी सम्बन्धित बजट मद पर प्रभार्य किया जायेगा, जिस मद पर पूर्व में अभाव सम्वत् 2071 में खरीफ फसल खराबों के समय किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लेखा संधारण पृथक से किया जायेगा। ऑनलाइन बजट मांग करते समय भी 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु मांग पृथक से की जावे एवं मांग में 90 दिवस से अधिक अवधि की मांग होने को उल्लेख किया जावे।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पेयजल परिवहन का संचालन सुनिश्चित किया जाये।


भवदीय,



शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज.0, जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
9. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
10. गार्ड फाईल।



शासन संयुक्त सचिव